न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 23/2023
स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

सुरेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल राम, निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः –25.11.2024

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2023 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ पेट्रोल व डीजल का अवैध भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान जाँच करने के लिए ग्राम गोलूवाला में गणपति टेलीकॉम के सामने नोहरे में तलाशी ली गई। मौके पर नोहरे में मकान मालिक सुरेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल राम उपस्थिति में तलाशी की कार्यवाही करवाई। तलाशी के दोरान मकान से 4 प्लास्टिक ड्रमो व 1 लोहे के ड्रम में डीजल एवं दो प्लास्टिक कैनियों मे पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को देखने, सूघने से 4 प्लास्टिक ड्रमो व 1 लोहे के ड्रम में डीजल एवं दो प्लास्टिक कैनियों मे पेट्रोल होना पाया गया। साथ में लोहे के नाप, कीप एवं विधुत मोटर भी पाये गये। तलाशी में मौके पर 4 रजिस्ट्रर मे पेट्रोल–डीजल बिक्री का हिसाब–किताब अंकित मिला है जिससे उक्त स्थान पर पेट्रोल–डीजल का कारोबार होना स्पष्ट होता है। मौके पर पाये गये डीजल का माप किया गया जो 640 लीटर डीजल एवं दो प्लास्टिक कैनियों में 70 लीटर पेट्रोल होना पाया गया। पूछताछ में श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा पेट्रोल–डीजल भण्डारण, व्यापार का कोई अनुज्ञापत्र / परमिट अथवा लाइसेंस आदि नही होना बताया है। चुकि बिना समक्ष स्वीकृति पेट्रोल–डीजल का व्यापार करना मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 के क्लॉज 4 स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रकरण मे श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल राम का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिंट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 के क्लॉज 4 एव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 640 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक एवं 1 लोहे का ड्रम, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक केनी, 1 हस्तचालित पम्प, 2 ... कीप, 2 लोहे के माप एक इलेट्रोनिक मोटर मय पाईप मौके पर ही ... जब्त की गई उक्त सामग्री श्री बद्री प्रसाद पुत्र पतराम उचित मुल्य दुकानदार गोलूवाला सिंहागान ... सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धा... ए प्रस्तुत कर निवेदन ... कि उक्त जब्तशुदा 640 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक एवं 1 लोहे का ड्रम, 70 लीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:14:44 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक केनी, 1 हस्तचालित पप्प, 2 लोहे की कीप 2 लोहे के माप एक इलेट्रोनिक मोटर मय पाईप राजसात करने के आदेश फरमावें ।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 31.10.2023 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थी संयुक्त परिवार का सदस्य है। अप्रार्थी के परिवार में अप्रार्थी के अलावा अप्रार्थी के तीन भाई और है। हम अप्रार्थीगण एक ही घर में रहते हैं और हमारा ट्रकों व भाड़े के साधनों का कारोबार है। अप्रार्थी के स्वंय के नाम से एक वाहन पिकअप नम्बर आरजे 13 जीबी 3259 व एक 14 टायर Trailer RJ-07–GA-8127 है व एक मोटरसाईकिल CH-01 AB-6075 व अप्रार्थी के भाई राजेन्द्र कुमार के नाम से एक 12 टायर ट्रक RJ-49-GA 0742 है। एक पैंट्रोल कार RJ-31CA-6519 छोटे भाई नरेन्द्र कुमार के नाम से है। उक्त सभी डीजल व पेट्रोल के साधन है उक्त साधन भाड़े पर चलते है जिनपर ड्राईवर रखे हुए है। जिनका हिसाब अप्रार्थी रजिस्टर में अंकित रखता है और उक्त व्यवसाय को अप्रार्थी स्वंय चलाता है। उक्त साधनों के संचालत हेतू अप्रार्थी को डीजल पैट्रोल की आवश्यकता होती है। दिनांक 19.10.2023 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा अवैध भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम के विरूद्ध अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी के नोहरे में तलाशी ली गई थी। जिसके तहत प्रार्थी के यहां से 640 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल होना बताया गया है जबकि प्रार्थी के पास 2 बड़े ट्रक, एक पीकअप, एक मोटरसाईकिल व एक कार है। अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन नहीं किया है अप्रार्थी निर्दोष है, अप्रार्थी के स्वंय के साधन ट्रक, कार, पीकअप मोटरसाईकिल का डीजल–पेट्रोल है उसे राजसात ना किया जाकर अप्रार्थी को दिया जावे। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साधनों का डिजल–पेट्रोल अप्रार्थी को दिया जावे व आगामी कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा उक्त जब्तशुदा 640 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक एवं 1 लोहे का ड्रम, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक केनी, 1 हस्तचालित पप्प, 2 लोहे की कीप 2 लोहे के माप एक इलेट्रोनिक मोटर मय पाईप के साथ जब्त किया गया है। जब्ती के समय कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये। लाईसेंस, परमिट के अभाव में जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल व अन्य सामान आदि अवैध भण्डारण एवं कारोबार है। अवैध पेट्रोल, डीजल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय उपकरण राजसात किया जाये।

बहस पर मनन कि[illegible] पत्रावली [illegible] रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:14:44 IST
Reason: SelfAttested

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिका[illegible] के समक्ष साथ में लोहे के नाप, कीप एवं विधुत मो[illegible] में मौके पर 4 रजिस्टर में पेट्रोल–डीजल बिकी का हिसाब–किताब अंकि[illegible]ला है जिससे उक्त स्थान पर पेट्रोल–डीजल का कारोबार होना स्पष्ट होता है। जिससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा काफी समय से अवैध भण्डारण एवं कारोबार हो रहा है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

2. अप्रार्थी भी वरवक्त जांच मौके पर मौजूद था और उसके दौराने बहस/सुनवाई में मौके पर उपस्थित होकर रिपोर्टेड मात्रा में डीजल व अन्य सामग्री होना मौखिक रूप से स्वीकार किया है। किन्तु किसी प्रकार के परिवहन व भण्डारण संबंधी अनुज्ञा होने से मना किया, जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में डीजल/पेट्रोल भण्डारण अवैध था।

3. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण पेट्रोल, डीजल के विक्रय, कारोबार करने हेतु कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं। मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में अवैध भण्डारण एवं कारोबार का कृत्य, 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा उक्त जब्तशुदा 640 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक एवं 1 लोहे का ड्रम, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक केनी, 1 हस्तचालित पप्प, 2 लोहे की कीप 2 लोहे के माप एक इलेट्रोनिक मोटर मय पाईप को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 31.10.2023 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:14:44 IST
Reason: SelfAttested